न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राम सिंह राजावत(आर.ए.एस.)
जीसी0एम0एसः—2022/106
मुकदमा नम्बरः— 49/2022

दर्ज दिनांक 01.02.2022
निर्णय दिंनाक 17.01.2023

1. गिरधारी लाल पुत्र भोलाराम उम्र 60 वर्ष जाति यादव निवासी बावरियों की ढाणी छापोली तहसील उदयुपरवाटी जिला झुन्झुनूं
2. रामलाल पुत्र बनवारी उम्र 58 साल जाति यादव निवासी बावरियों की ढाणी छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज

वादीगण

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र गणपत
2. नागरमल पुत्र गणपत
3. प्रभुदयाल पुत्र गणपत
4. श्यामलाल पुत्र गणपत
5. मनकोरी पत्नी गणपत
6. झीमली पत्नी मथुरा प्रसाद,
7. मदनलाल पुत्र मथुरा प्रसाद
8. राजेन्द्र पुत्र मथुरा प्रसाद,
9. रामोवतार पुत्र मथुरा प्रसाद
10. सुनिता पुत्री मथुरा प्रसाद
11. जगदीश पुत्र नाराणा
12. सागरमल पुत्र नाराणा
13. प्रहलाद पुत्र कानाराम
14. बादल पुत्र रतन
15. मंजू पत्नी रतन

समस्त जातिगण यादव निवासीगण बावरियों की ढाणी, छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

16. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:45:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 17.01.2023

वादीगण ने जरिये वकील वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम छापोली की सरहउद में भूमि खसरा न. 2890 रकबा 0.23 है0 अवस्थित है जिसे वादपत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित भूमि खसरा न. 2890 रकबा 0.23 है0 पुराना खसरा न. 1828 से बना है, खसरा न. 1828 शुरू से ही वादीगण के दादा के नाम पर दर्ज था जो बाद में चलकर वादीगण के पिता के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया व उसी अनुनसार पूर्व के वादीगण कि दादा व पिता विवादित भूमि पर काबिज काश्त था आज भी वादीगण विवादित भूमि पर काबिज काश्त है। दूसरे सेटलमेंट के समय बाकी सम्पूर्ण भूमि का राजस्व रिकॉर्ड सही दर्ज हो गया किन्तु विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड सही दर्ज किया गया किन्तु विवादित भूमि का रिकॉर्ड राजस्व कर्मचारियें की भूलवश प्रतिवादीगणों के नाम पर दर्ज हो गया जो गलत व दुरूस्त किए जाने योग्य है। प्रतिवादीगणों की नियत खराब होने के कारण विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने से साफ इनकार हो गए इस कारण वाद कारण प्रतिवादीगणों द्वारा विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने से इनकार होने के दिन से उत्पन्न हुआ है आज दिन तक लगातार बना हुआ है। विवादित भूमि वादीगणों की पुश्तैनी भूमि है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त पूर्वजों के समय से लगातार आज दिन तक है व राजस्व रिकॉर्ड कर्मचारियें की भूलवश गलत रिकॉर्ड दर्ज हो गया जिसे दुरूस्त करवाने का पूर्ण अधिकार वादीगणों को प्राप्त है व कानूनन राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना भी न्यायोचित है इस कारण वाद पत्र पेश किया गया है। गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रतिवादीगण उक्त भूमि को दीगर व्यक्ति को बेचान कर देते हैं तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी व अनावश्यक मुकदमें बाजी होगी जिससे समय व धन की बर्बादी होगी। अतः वादीगण द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम छापोली की सरहद में भूमि खसरा न. 2890 रकबा 0.23 है0 भूमि में वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने का आदेश प्रतिवादीगण 16 को दिया जावे तथा प्रतिवादीगणों को इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि वादपत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का विक्रय नहीं करे बिना रूपान्तरण निर्माण नहीं करे आवेदक के उपयोग उपभोग में व्यवधाश्न कारित नहीं करे ना ही पुराने कुंए को खुर्द बुर्द करे ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी नौकर चारक ठेकेदार अधीनस्थ कर्मचारी से करावे। तादौराने वाद मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। वादपत्र दर्ज किया जाकर [illegible] की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 बावजूद तामील [illegible] नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

गिरधारी लाल व रामलाल ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया तथा बयान कलमबद्ध किये गये ।

तहसीलदार से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:45:54 IST
Reason: SelfAttested

एकक्षीय बहस वाद पत्र पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि शुरू से ही वादीगण के दादा के नाम पर दर्ज था जो बाद में चलकर वादीगण के पिता के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया व उसी अनुसार पूर्व के वादीगण कि दादा व पिता विवादित भूमि पर काबिज काश्त था और आज भी वादीगण विवादित भूमि पर काबिज काश्त है। दूसरे सेटलमेंट के समय विवादित भूमि का रिकॉर्ड राजस्व कर्मचारियों की भूलवश प्रतिवादीगणों के नाम पर दर्ज हो गया जो गलत व दुरूस्त होने योग्य है। विवादित भूमि वादीगणों की पुश्तैनी भूमि है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त पूर्वजों के समय से लगातार आज दिन तक है व राजस्व कर्मचारियों की भूलवश गलत रिकॉर्ड दर्ज हो गया जिसे दुरूस्त करवाने का पूर्ण अधिकार वादीगणों को प्राप्त है। अतः उक्त विवादित भूमि में वादीगणों को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 16 को फरमाया जावे तथा उक्त विवादित भूमि को प्रतिवादीगण विक्रय नहीं करने, रूपान्तरण नहीं करने, पुराने कुंए को खुर्द बुर्द नहीं करने का आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस, पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो पर डाले गये प्रदर्श से स्पष्ट है कि वाद पत्र में वर्णित भूमि वादीगण के पूर्वज गोमा व गोपाल पुत्र जीवन के नाम दर्ज रिकार्ड थी। लेकिन बाद में उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड हो गया । तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि वाद पत्र में वर्णित भूमि पर कब्जा काश्त पहले वादीगण के पूर्वजो का था और अब वादीगण का कब्जा काश्त है। अतः उक्त विवचना के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होंता है।

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली के भूमि खसरा न0 2890 रकबा 0.23 है0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

17/1/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:45:54 IST
Reason: SelfAttested